झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–295 / 2019

के साथ

आई0ए0 सं0–6388 / 2019

पुलिस अधीक्षक, शंकर ठाकुर के माध्यम से ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

उर्मिला देवी एवं अन्य ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री नवनीत टोप्पो, जी0ए0–II के ए0सी0

ओ0पी0 के लिए : श्री सूरज सिंह, अधिवक्ता

04 / दिनांकः20.09.2019

आई0ए0 सं0–6388 / 2019

1. यह वादकालीन आवेदन सिविल विविध याचिका को दाखिल करने में हुई 24 दिनों की देरी की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर किया गया है।

2. यह विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया जाता है कि एम0ए0 सं0–31 / 2018 वाद संचालित करने वाले तत्कालीन वकील द्वारा दायर किया गया था। यह कि राज्य के पैनल अधिवक्ताओं में बदलाव के कारण मुकदमों का फिर से वितरण हुआ। इस अवधि के दौरान लंबित आदेश के बारे में वकील को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए, निर्धारित समय के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप अपील खारिज हो गई। यह कि दिनांक 10.04.2019 को राज्य के लिए नए नियुक्त वकील को उसी के बारे में जानकारी मिला, जिसके बाद यह सिविल विविध

याचिका दायर की गई है। यह निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोइ जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई है।

3. विपक्षीगण/दावेदार की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया है और निवेदन किया कि अपील राज्य द्वारा दाखिल की गई थी। वकील त्रुटियों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे और इसे एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं हटाया गया था। यह निवेदन किया गया कि जब विपक्षीगण के वकील इस न्यायालय को तथ्यों के बारे में अवगत कराया गया था, तब लंबित आदेश पारित किया गया था और आज तक अपील को दाखिल करने हेतु वैधानिक राशि राज्य द्वारा जमा नहीं की गई है।

4. सुना। समर्थन हलफनामें में बताए गए कारणों के मद्देनजर, बिलम्ब हेतु पर्याप्त कारण और उचित स्पष्टीकरण दिया जाता है, तदनुसार बिलम्ब की माफी की जाती है।

5. आई0ए0 संख्या 6388/2019 की अनुमति है।

सी0एम0पी0 संख्या 295/2019

1. बताए गए कारणों पर विचार करते हुए, पर्याप्त कारण बनता है, तदनुसार, सिविल विविध याचिका की अनुमति है और एम0ए0 सं0–31/2018 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने का निर्देश दिया जाता है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एम0ए0 सं0–31/2018 में कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को 16.10.2019 तक निश्चित रूप से दूर कर देंगे, विफल होने पर यह अपील फिर से खण्डपीठ के संदर्भ के बिना खारिज कर दी जाएगी।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्याया0)